मानव अधिकार पर नये सिरे से चिंतन की जरूरत

विश्व मानव अधिकार दिवस पर विशेष

- राघवेन्द्र प्रताप सिंह
विद्यार्थी, एमसीयू

वर्तमान में देश में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है ऐसे में मानवाधिकार और इससे जुड़े आयामों पर चर्चा महत्त्वपूर्ण हो जाती है। देश में मॉब लिंचिंग और बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ रहीं हैं। चरमपंथी हमले का सिलसिला भी थम नहीं पा रहा है। पुलिस पर मानव अधिकार के हनन की शिकायतें भी कम नहीं हो पा रही हैं। उत्तरप्रदेश और बिहार में दुष्कर्म की ताजा वारदातों तथा पीड़िता को जला देने जैसे कृत्यों ने देश को शर्मसार किया है। हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और फिर उसे जिंदा जला डालने की घटना से देश हिल उठा। इस घटना के बाद हैदराबाद पुलिस द्वारा वारदात के रिक्रिएशन के दरम्यान आरापियों के पुलिस गिरफ्त से भागने और पुलिस पर हमले की कार्रवाई के जवाब में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं।

भारत में मानव अधिकारों के हनन की शिकायत नई बात नहीं है। बीते कुछ सालों में मानव अधिकारों के हनन की शिकायतें रिपोर्ट होने का सिलसिला तेज हुआ है। मानव अधिकार आयोगों के गठन और मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों को लेकर झंडा उठाने में देरी ना करने वाले संगठनों की सक्रियता के बाद आमजन भी अपने इस मूलभूत अधिकार के प्रति सजग हुआ है। दरअसल आम हो या खास, यदि उसे मिले अधिकारों पर किसी तरह का अतिक्रमण होता है तो वह आवाज उठाने में तनिक भी संकोच नहीं करता। यह भी एक वजह है कि इस तरह के मामलों की रिपोर्टिंग और शिकायतें बढ़ी हैं।

हमारा देश इस वक्त असहिष्णुता से जुड़ी शिकायतों को लेकर भी सुर्खियों में है। देश के नामी-गिरामी लोगों के अलावा बुद्धिजीवी भी असहिष्णुता के विषय पर खुलकर सामने आये हैं। यह अलग बात है कि असहिष्णुता की परिभाषा आज के वक्त खासी चर्चाओं में है। सवाल उठाने वालों पर सवाल उठाये जा रहे हैं। तमाम आरोप-प्रत्यारोप और बहस के बीच कुछ खास घटनाओं ने मानव अधिकार के प्रति सजगता के दावों को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। तमाम आरोप-प्रत्यारोप एवं बहसबाजी के बीच मानव अधिकारों के दावों पर भी चर्चा का दौर चल रहा है। कुल मिलाकर ताजा घटनाक्रमों ने देश में मानव अधिकार को नये सिरे से परिभाषित करने और वास्तव में मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए विचार की जरूरत को बढ़ा दिया है।

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद 10 दिसंबर 1948 को 48 देशों के समूह ने समूची मानव-जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। इसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिये। भारत ने भी इस पर सहमति जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर पर हस्ताक्षर किये। हालाँकि देश में मानवाधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था बनाने में 45 वर्ष लग गए और तब कहीं जाकर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया, जो समय-समय पर मानवाधिकारों के हनन के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों को अपनी अनुशंसाएँ भेजता है।

मानवाधिकार क्या है?

एक वाक्य में कहें तो मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार संबंधी घोषणापत्र में भी कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से इतर होते हैं। रही बात मौलिक अधिकारों की तो ये देश के संविधान में उल्लिखित अधिकार है। ये अधिकार देश के नागरिकों को और किन्हीं परिस्थितियों में देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। हाँ

पर एक बात और स्पष्ट कर देना उचित है कि मौलिक अधिकार के कुछ तत्त्व मानवाधिकार के अंतर्गत भी आते हैं जैसे, जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: भारत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश की सर्वोच्च संस्था के साथ-साथ मानवाधिकारों का लोकपाल भी है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। यह राष्ट्रीय मानवाधिकारों के वैश्विक गठबंधन का हिस्सा है। साथ ही यह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफ़िक फोरम का संस्थापक सदस्य भी है। एनएचआरसी को मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन का अधिकार प्राप्त है। देश में मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार से जुड़े मामलों को बड़ी ही संजीदगी से देखता है और उस पर उचित कदम भी उठाता है। अगर हम आंकड़ों में झांकने की कोशिश करें तो पायेंगे कि अप्रैल 2017 से लेकर दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान लगभग 61 हजार 532 मामले विचार हेतु दर्ज किये गए और आयोग ने 90% मामलों का निपटारा किया।

मानवाधिकार न्यायालय की आवश्यकता: मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 के मुताबिक सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रेक मानवाधिकार अदालत का गठन उन राज्यों के हाईकोर्ट की देखरेख और दिशा-निर्देश के आधार पर किया जाना था लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी ये काम लंबित पड़ा है। इन खास अदालतों में सरकारी वकीलों की नियुक्तियां भी लंबित है। भारत में मानवाधिकारों के हनन के बढ़ते मामलों और हाल में आई विभिन्न रिपोर्टों के बीच, सुप्रीम कोर्ट कानून की एक छात्रा भाविका फोरे की याचिका पर यह सुनवाई कर रही है। याचिका के मुताबिक देश के राज्यों और संघ-शासित प्रदेशों के सभी 725 जिलों में मानवाधिकार हनन के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रेक अदालतों का गठन किया जाना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ है।

मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019: हाल ही में संसद ने मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 भी पारित कर दिया है। विधेयक के पारित होने के बाद सरकार उसे और अधिक सशक्त तो वहीं विपक्ष विधेयक को मानवाधिकार कानून कमजोर करने वाला बता रही है। बहरहाल, देश में जिस प्रकार से मानवाधिकारों का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है, उसे देख कर तो नहीं लगता कि सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयास काफी हैं। भारत में लम्बे समय से मानवाधिकारों पर चर्चा होती चली आ रही है, कई विवादास्पद घटनाओं जैसे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उत्पन्न दंगे, शाहबानो मामले के बाद मौलानाओं में भड़की विरोध की चिंगारी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद देश भर में हुए दंगे, गुजरात में हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगे, कश्मीर में आए दिन हो रहीं हिंसक वारदातों के समय भी देश के नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन किसी से छिपा नहीं है। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की झलक हमको दिखायी भी पड़ती है। मानवाधिकार को लेकर होने वाली बहसें सुनायी भी पड़ती हैं।

मानव अधिकारों की सुरक्षा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकारों से संबंधित अपीलों के लिए अपने दरवाजे सीधे खोलता है। मानवाधिकार से संबंधित बहुत सी बहसों ने संविधान के ढांचे में परिवर्तन तक किया है। हमारी न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा भली-भांति करने का प्रयास कर रही है, फिर भी इतने बड़े देश में एकरुपता से सभी को न्याय की कसौटी पर नहीं खरा उतारा जा सकता। आधुनिक समय अपने साथ नयी चुनौतियां लेकर आ रहा है। मानवाधिकारों से संबंधित चुनौतियों भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में हम सभी का अपने अधिकारों के प्रति समझ इन चुनौतियों से निपटने में कारगर साबित हो सकती है।

(प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।